

(1)

मंत्री
उद्यानिकी

का विभाग

P. 1/c

P. 2-36/c

P. 1/c

P. 37-38/c

7721
C.R.

विषय:-

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 2111/2016 श्री घनश्याम यादव व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य।

पं.क्रं. 633/2016/58, दिनांक 10.3.2016.
संचालक उद्यानिकी का एकल नस्ती क्रं. 1729, दिनांक 09.3.2016.

व्य० एकल नस्ती प्रस्ताव का संलग्न सहित कृपया अवलोकन हो।

2/- संचालक उद्यानिकी ने विषयांकित प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 2111/2016 श्री घनश्याम यादव व अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर किया गया है, में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु श्री एम.एच. सैफी, सहायक संचालक उद्यान (प्रमुख उद्यान) भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया है।

निर्देशानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश स्वच्छ प्रतियों के अनु०/हस्ता० प्रस्तुत है।

11/3/16

अ०अ०
11/3/16

जति करें।

11-3-16

11-3-16

652,653

जावक क्र./-----/2013/58

11/3/16

दिनांक

विषयान्वित प्रकरण में उपरोक्तानुसार विभागीय आदेश दिनांक 11-3-2016 द्वारा प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
अतः प्रतिक्रिया आदेश प्राप्त करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करने हेतु प्रस्तुत है

11/3/16

अ०अ०
11/3/16

D.S.(H)

निधि विभाग

11-3-16

11-3-16

11/3/16

मगदली खलखो
उप सचिव
उद्यानिकी एवं छात्र प्रशिक्षण विभाग

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:-

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी. 2111/2016 श्री घनश्याम
यादव व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य।

का विभाग

प्रतिरक्षा आदेश जारी कर प्रति
जस्ती पर रखी है।

उद्यानिकी एवं खाद्य
प्रसंस्करण विभाग

(अमिताभ मिश्र)
अति. सचिव
विधि विभाग

F-8-9/2016/58.

1

633

10/3/16

संचालनालय उद्यानिकी

एकल नस्ती क्रमांक/अ-1-अ/को.के./2015-16/

विषय:- प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी. 2111/2016 द्वारा श्री घनश्याम यादव, कुशल श्रमिक, विरुद्ध म० प्र० शासन व अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति बाबत।

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी. 2111/2016 द्वारा श्री घनश्याम यादव, कुशल श्रमिक विरुद्ध सहायक संचालक उद्यान म० प्र० भोपाल ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में माली के पद पर नियमितीकरण के संबंध में प्रकरण दायर किया गया है।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु श्री एम.एच.सैफी सहायक संचालक उद्यान (प्रमुख उद्यान) भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

9/3/16

(एम.एस.धाकड़)

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

प्रमुख सचिव,
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

012 कादेश जारी है।

9/3

10/3/16

10-3-16

10/3/16

क्रमांक...../प्र.स.उ. एवं खा.प्र./2016
दिनांक 9.3.2016

एकल नस्ती क्रमांक/1729/9/3/2016

Shinyani

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR

(3)

Process Id: 24530/2016

WP/2111/2016

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of
Judicature
at Jabalpur

for adm

Fixed for 28-03-2016

WP-DA-15

Respondent No. 3

To,

Asstt. Director, Horticulture,,
(main Garden), Rose Garden, Near 1250
Link Road No. 1, Tulsi Nagar,,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 10-02-2016

Sub: Notice to-Respondent No. 3 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 2111/ 2016**


Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Ghanshyam Yadav** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/2111/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **28-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition



Your faithfully

[Signature]

[Signature]

DEPUTY REGISTRAR

①

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)

WRIT PETITION No. 2111...../2016

PETITIONERS

: Gahnshyam Yadav and Others
 Versus

RESPONDENTS

: State of Madhya Pradesh & others

INDEX

S. No.	Particulars of Document	Annexures	Page Nos.
1.	Index		
2	Chronological Events		1
3	Writ Petition with Affidavit		2
4	List of Document		3-10
5	Copy of the impugned order dated 13.10.15	P/1	11
6	Copies of appointment orders and gradation list of the petitioners (Colly.)	P/2	12-13
7	The copy of the order dated 08.02.08	P/3	14-22
8	Copies of the order of regularization to the other similar situated employee granting to the benefit w.e.f. 10years (Colly.)	P/4	23-25
9	Copy of letter dated 15.10.09 wrote by respondent No.2	P/5	26-28
10	Copy of order passed by this Hon'ble Court in W.P. No. 11819/2015.	P/6	29-
11	Vakalatnama		30-33
			34

Place: Jabalpur
 Dated: .01.2016

(Aniruddh K. Mishra)
 Advocate for Petitioners

5

(1)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)

WRIT PETITION No. /2016

PETITIONERS : Gahnshyam Yadav and Others
Versus

RESPONDENTS : State of Madhya Pradesh & others

CHRONOLOGICAL EVENTS

That, the petitioners by way of this petition are challenging legality validity of the impugned order by which the petitioners are denied to pay the regular pay scale on the grounds that they are neither daily wagger employee nor appointed against vacant post. While, the petitioners were appointed as daily wagger before year 1988 whereas, the rule to recruitment of daily wagger before year 1988 was adopted by respondents. Even though the respondent department himself treated them as daily wagger employee and prepare gradation list accordingly. The State Govt. has also issued guideline for regularization and regular pay scale in time to time and on that basis the respondent department drawn their payments as daily wagger employee. In the aforesaid situation whereas, they are appointed before year 1988 and still continuously working in the department are entitle for all consequential benefit as granted to the regular/daily wagger employee. Whereas the direction of the Hon,ble Apex Court in the case of Secretary State of Karnatak and others v/s Uma Devi and Others (Supra.) not properly complied by the respondents to regularization of the petitioners. Therefore, in spite of those facts, the gross discrimination is met out to the petitioner's case those are appointed as Gardener in daily wages/contingency mostly before year 1988. So that, the impugned order passed by the respondent No.2 is illegal.

Place: Jabalpur
Dated: .01.2016

(Aniruddh K. Mishra)
Advocate for Petitioners

(6)

(3)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)
WRIT PETITION No...../2016

PETITIONERS

- : 1. Ghanshyam Yadav S/o Shri Ramdayal, aged about 56 years, Posted as Gardener (Daily wager) Rajbhavan Bhopal, District Bhopal (M.P.)
2. Sumer Singh s/o Shri Gyasi Singh, aged about 60 years, Posted as Gardener, (Daily wager) Gulab Garden Bhopal, District Bhopal (M.P.)
3. Madanlal S/o Shri Hazari, aged about 45 years, Posted as Gardener (Daily wager) 5 No. Park, 45 Buglow Bhopal, District Bhopal (M.P.)

VERSUS

RESPONDENTS

- : 1. State of Madhya Pradesh Through the Principle Secretary, Horticulture and Food Processing Department, Vallabh Bhawan Bhopal (M.P.).
2. Director, Horticulture and Food Processing Department, 4th Floor, Vindhyanchal Bhavan, Bhopal (M.P.)
3. Assistant Director Horticulture, (Main Garden), Rose Garden, Near 1250 Link Road No.1, Tulsi Nagar, Bhopal (M.P.)

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION
OF INDIA

1. PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST WHICH THE PETITION IS MADE.

Order dated : 13.10.15
 Passed In : Uddyan/A-3/stb./79/2015-16/3791
 Passed by : Respondent No. 2

(4) Subject matter in brief-

That, the petitioners by way of this petition are challenging legality, validity of the impugned order dated 13.10.15 by which the petitioners are denied to pay the regular pay scale on the grounds that they are neither daily wager employee nor appointed against vacant post. While, the petitioners were appointed as daily wager before year 1988 whereas, the rule to recruitment of daily wager before year 1988 was adopted by respondents. Even though the respondent department himself treated them as daily wager/contingency employee and prepare gradation list accordingly. The State Govt. has also issued guideline for regularization and regular pay scale in time to time and on that basis the respondent department drawn their payments as daily wager employee. In the aforesaid situation whereas, they are appointed before year 1988 and still continuously working in the department are entitle for all consequential benefit as granted to the daily wager/contingency employee. Whereas the direction of the Hon'ble Apex Court in the case of Secretary State of Karnatak and others v/s Uma Devi and Others (Supra.) not properly complied by the respondents to the regularization of the petitioners. Therefore, in spite of those facts, the gross discrimination is met out to the petitioner's case those are appointed as Gardener in daily wages/contingency mostly before year 1988. So that, the impugned order dated 13.10.15 (Annexure P/1) passed by the respondent No.2 is illegal and the petitioners by way of this petition approach to this Hon'ble Court to issuance to the writ of mandamus directing them to extend the similar benefit to the petitioner, hence this petition.

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ११ / ०३ / २०१६.

क्रमांक एफ ८-९/२०१६/५८ : : सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ अधिनियम संख्या-५) के आदेश सत्ताईस के नियम १ तथा ३ के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. २१११/२०१६ श्री घनश्याम यादवव अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य, मा० उच्च न्यायालय जबलपुर में श्री एम.एच. सैफी, सहायक संचालक उद्यान (प्रमुख उद्यान) भोपाल को प्रभारी अधिकारी के रूप में अधिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नांकित कार्य करेगा :-


१. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर किसी विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जावेगी।
२. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
३. वारपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये जिससे कि, शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
४. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
५. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज/पत्र भेजेगा :-
 - (अ) वाद पत्र की प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट,
 - (ब) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप,
 - (स) उन सभी दस्तावेजों की सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (द) मामले में विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज/पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की तारीख भी वर्णित होना चाहिए।
६. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना मामले और उसके क्रम और प्रगति में नियम किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना।
७. जब कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।
८. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।

.....२/-

9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
10. जैसे ही अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देना होगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे।
11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायता देगा या इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि, कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज/दुबी हुई नहीं रह जाये।
12. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चित होता है तो परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ की जाये।
13. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि, उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश या पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई। अतएव वह आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रेशासकीय) विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(अनुप कुमार मुण्डा)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

क्रमांक एफ 8-9/2016/58,

प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 11/03/2016.

1. महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म.प्र.भोपाल की ओर उनके एकल नस्ती क्रमांक 1729, दि. 09.03.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री एम.एच. सैफी, (प्रभारी अधिकारी) सहायक संचालक उद्यान (प्रमुख उद्यान) भोपाल मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव भेजी जानी चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये।
5. शासकीय अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. पर्सनल नस्ती।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग